LR 123/2021 अकबर / जफर मो०

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
12-07-22	श्री राघवेन्द्र सिंह श्री G.S. लग्गावत	

पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र कायम मुकाम के निर्णयार्थ पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा दिनांक 17.01.2022 को प्रार्थना पत्र वास्ते किये जाने कायम मुकाम कार्यवाही अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित आदेश 1 नियम 10 एवं 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस अपील प्रकरण में अपीलार्थी अकबर का लाऔलाद निधन दिनांक 22.11.2021 को हो चुका है। अपीलार्थी अकबर ने श्री कमरूद्दीन पुत्र नज्जीर खान उर्फ नज्जी जाति चीता निवासी कोच्ची मौहल्ला ग्राम पोस्ट हटुण्डी तहसील एवं जिला अजमेर के पक्ष में दिनांक 14.11.2021 को एक वसीयत (अंतिम इच्छा पत्र) निष्पादित की है जिसके अनुसार मृतक अकबर के समस्त हक अधिकार श्री कमरूद्दीन ही एक मात्र वारिस है। इसलिए अपीलार्थी मृतक अकबर के स्थान पर प्रार्थी श्री कमरूद्दीन को रिकॉर्ड पर लिए जाने हेतु निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम कार्यवाही अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित आदेश 1 नियम 10 एवं 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 05.04.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदनकर्ता कमरूद्दीन जो कि पूर्व में अपील प्रस्तुत करते समय अकबर पुत्र समदा का मुख्त्यारआम के रूप में अंकित किया गया, उसी कमरूद्दीन द्वारा स्वयं के पक्ष में वसीयत होना कथन किया है जो वसीयत पंजीकृत विलेख नहीं है। केवल वसीयत के आधार पर आवेदनकर्ता ने मृतक अकबर के अधिकार स्वयं के निहित होना गलत है क्योंकि किसी भी अभिलेख में अकबर के कोई अधिकार अस्तिव में होना साबित नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया कि मृतक अकबर की मृत्यु दिनांक 22.11.2021 को हुई तथा दिनांक 14.11.2021 को वसीयत निष्पादित हुई। ऐसी स्थिति में वसीयत पूर्ण तथा संदिग्ध तथा नासाबित है जिसमें वर्तमान अपील ही पोषणीय नहीं है। इस प्रकार वर्तमान अपील किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने से तथा कमरूद्दीन को सुने जाने का अधिकार नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम कार्यवाही अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित आदेश 1 नियम 10 एवं 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 27.05.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वसीयत (अंतिम ईच्छा पत्र) बाबत् सक्षम न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा नहीं करवाये जाने के विधिक आधार पर भी वर्तमान स्तर पर किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने का विधिक हक, अधिकार

संभागीय आयुक्त
अजमेर

निरन्तर....

Scanned with CamScanner

LR/123/2021 अकबर/ जफरमो० (मृतक)

2021/123

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	श्री राघवेन्द्र सिंह श्री जी. एम. लखवाल
	नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।
	विद्वान अभिभाषकगण की कायम मुकाम कार्यवाही अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित आदेश 1 नियम 10 एवं 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र पर सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का गौर किया जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि आवेदनकर्ता कमरूद्दीन जो कि पूर्व में अपील प्रस्तुत करते समय अकबर पुत्र समदा का मुख्त्यारआम के रूप में अंकित किया गया, उसी कमरूद्दीन द्वारा स्वयं के पक्ष में वसीयत होना बताया है जो वसीयत पंजीकृत विलेख भी नहीं है। केवल वसीयत के आधार पर आवेदनकर्ता ने मृतक अकबर के अधिकार स्वयं के निहित होना बताया है जो गलत प्रतीत होते है क्योंकि किसी भी अभिलेख में अकबर के कोई अधिकार अस्तिव में होना साबित नहीं है। अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा मृतक अकबर के विधिक वारिसान होने बाबत् कोई सक्षम दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराये गये है। ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील ही पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।
	अतः उपरोक्त विवेचानुसार अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम कार्यवाही अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित आदेश 1 नियम 10 एवं 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र श्री कमरूद्दीन को सुने जाने का अधिकार नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की यह वर्तमान मूल अपील किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।
	संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned with CamScanner